कार्यकारी सार

प्रतिवेदनों में 22 पैराग्राफों को अन्तर्विष्ट करते हुए ₹ 46.91 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल है। हमने इसके अतिरिक्त ₹ 32.71 करोड़ के राशि मूल्य वाले 102 पैराग्राफ जारी किए थे जिन पर विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओ ज्ञापनों को जारी करके, कारण बताओं ज्ञापनों पर निर्णय लेकर तथा ₹ 18.01 करोड़ की वसूली करके सुधारात्मक कार्रवाई की। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो का वर्णन आगामी पैराग्राफों में किया गया है:

अध्याय I: सीमा शुल्क प्राप्तियां

- **2009-10 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया शुल्क ₹ 52,606 करोड़ था जो सीमाशुल्क की कुल प्राप्तियों का लगभग 63 प्रतिशत था**

{पैराग्राफ 1.5}

- **पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (इस वर्ष के प्रतिवेदन सहित), हमने ₹ 417.53 करोड़ के 711 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे । इनमें से सरकार ने पैराग्राफों 608 में ₹ 261.11 करोड़ की मूल्य की लेखापरीक्षा आपत्तियों को मान लिया तथा ₹ 78.64 करोड़ की वसूली की**

{पैराग्राफ 1.8 }

अध्याय II:सीमाशुल्क का गलत निर्धारण

- **हमने कुल ₹ 37.94 करोड़ के सीमाशुल्क के गलत निर्धारण के मामले ढूढें । ऐसा मुख्यतः आगम पत्र को देने में हुए विलम्ब, टर्मिनल उत्पाद शुल्क के प्रतिदायों,पर प्रदत्त ब्याज शुल्क की गलत दर लगाने, समुद्री बिक्री के गलत निर्धारण तथा सुरक्षा शुल्क के अनुद्ग्रहण इत्यादि के कारण हुआ।**

{पैराग्राफ 2.1 से 2.5 }

अध्याय III: सामान्य छूट अधिसूचनाएँ

- **छूट अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 4.06 करोड़ के शुल्क का उदग्रहण कम हुआ ।**

{पैराग्राफ 3.1 से 3.4 }

अध्याय IV: शुल्क छूट/माफी योजनाएँ

- **शुल्क छूट योजनाओं का लाभ उठाकर निर्धारित आवश्यकताओं/शर्तों को पूरा न करने वाले निर्यातकों/आयातकों से ₹ 3.32 करोड़ का राजस्व प्राप्य था।**

{पैराग्राफ 4.1 से 4.3 }

अध्याय V: वर्गीकरण

- **माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 1.59 करोड़ का शुल्क कम उद्ग्रहित हुआ**

{पैराग्राफ 5.1 से 5.6 }